(10)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :– 3/अ0प्र0–1–48/2019 35 /पटना, दिनांक :– 9.9.22

श्री अरूण कुमार साहनी, कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 अन्तर्गत रत्नोपट्टी से एन0एच0–57 भाया निमा बांध पथ निर्माण में अनियमितता के लिये आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 865 अनु0 दिनांक 01.04.2019 द्वारा श्री साहनी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री साहनी के पत्रांक शून्य दिनांक 26.06.2019 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश सं०–26 सह–पठित ज्ञापांक–1049 दिनांक 08.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री साहनी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 9744 अनु0 दिनांक 08.12.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री साहनी के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में इस पर मुख्य अभियंता–1 का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्री साहनी के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 यथा जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बांध पर पथ निर्माण किये जाने हेतु No objection certificate अप्राप्त रहने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता–1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि DPR के साथ संलग्न चेकलिस्ट में भी जल संसाधन का बाँध होने का उल्लेख किया गया है। कार्य प्रारंभ होने के पूर्व जल संसाधन विभाग से NOC प्राप्त करने की कार्रवाई प्रमंडल स्तर से की गयी है। जॉच के समय एकरारनामा भी नहीं किया गया है, अतएव इस संबंध में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार किया जा सकता है। आरोप संख्या–2 यथा पथ कार्य हेतु संवेदक से एकरारनामा नहीं किये जाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता–1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि एकरारनामा करने का दायित्व कार्यपालक अभियंता का होता है, अतएव इस संबंध में कनीय अभियंता के स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से स्वीकार किया जा सकता है। श्री साहनी के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–3 यथा तैयार किये गये डी0पी0आर0 में पूर्व से किये हुए मिट्टी कार्य एवं जी0एस0बी0 की मात्रा नहीं घटाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता–1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि स्थल निरीक्षण के समय स्थल पर जल संसाधन विभाग द्वारा मिट्टी एवं GSB कार्य कराया हुआ पाया गया। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आवंटित पथ का एकरारनामा नहीं किया गया है। स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है अतएव कोई वित्तीय क्षति का मामला भी नहीं है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कनीय अभियंता द्वारा नियमानुकूल स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें मिट्टी एवं GSB कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया हुआ पाया गया, जिसकी सूचना कनीय अभियंता के पत्रांक 18 दिनांक 14.03.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता को दी गयी, जिसमें प्राक्कलन में सुधार का सुझाव दिया गया है। अतएव कनीय अभियंता द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की गयी है। अतः इस संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य को स्वीकार किया जा सकता है। आरोप

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in
E:/2021/Aaropmukt

संख्या–4 यथा पथ के शिलान्यास पटट् पर माननीय विधायक श्री संजय सरावगी का नाम अंकित नहीं रहने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता–1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि उक्त पथ का 3.4 कि0मी0 पथांश माननीय विधायक, श्री भोला यादव के क्षेत्र बहादुरपुर विधान सभा में पड़ता है, जिसका शिलान्यास एक छोर पर दिनांक 07.03.2019 को श्री भोला यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा किया गया। शेष 100 मीटर मात्र पथांश माननीय विधायक, श्री संजय सरावगी के विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें शिलान्यास करने की योजना बनाने के पूर्व ही दिनांक 10.03.2019 को आदर्श आचार संहिता लागू हो गया जिसके कारण शिलान्यास नहीं किया गया। अतएव इस संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले के समग्र समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता–1 के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए श्री साहनी को आरोप मुक्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

6. अतः उक्त के आलोक में श्री अरूण कुमार साहनी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

6/9/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–48/2019 1452/पटना, दिनांक :– 9.9.22

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अरूण कुमार साहनी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/22

अभियंता प्रमुख